न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
32 / 2012 प्रा.पत्र / 2012	23.08.2012	09.02.2024

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1—श्री प्रहलाद राय जैन पुत्र श्री मदनलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स प्रहलाद राय विमल कुमार किराणा स्टोर प्राईवेट बस स्टेण्ड के पास डिग्गी तह0 मालपुरा जिला टोंक राज0
2—श्री औम जैन पुत्र मूलचन्द जैन सोल प्रोपराईटर मैसर्स पवन किराणा स्टोर निवासी श्रीमालों का मोहल्ला मालपुरा जिला टोंक
3—श्री अमित गुप्ता पुत्र श्री मोहनलाल गुप्ता सोल प्रोपराईटर मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट एच 137 ए रीको औद्योगिक क्षेत्र सरना डूँगर जयपुर निवासी बी—82 एल एस नगर नया खेडा अम्बा बाड़ी जयपुर राज0

..... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार
2—अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री दिनेश कुमार शर्मा व श्री जितेन्द्र कुमार जैन।

:—निर्णय—: **दिनांक 09.02.2024**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.03.2012 को समय 12.35 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स प्रहलादराय विमल कुमार किराणा स्टोर प्राईवेट बस स्टेण्ड के पास डिग्गी तह0 मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से प्रहलादराय विमल कुमार जैन खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे घी विभिन्न ब्रान्डेड तेल,गुड,शक्कर,मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ रखे हुए मिले एंव दुकान के गोदाम का निरीक्षण करने पर गोदाम में **रिफाइंड पाम ऑयल (जय श्री मथंन ब्राण्ड)** पैक अवस्था कागज के गत्ते का कार्टून रखा हुआ था, जिसे खोलकर देखने पर पाया कि उसमें 200—200 मिली लीटर के लगभग 48 प्लास्टिक के डिब्बे सील पेक रखे हुए थे जिसमें मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. विक्रता को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता श्री प्रहलाद

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

राय जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। आवेदक द्वारा दुकान मे कागज के कार्टूनो मे 200–200 एम एल पेक डिब्बे/पैकेट **रिफाइंड पाम ऑयल (जय श्री मथंन ब्राण्ड)** रखे हुये मे से 8 मूल पैक अवस्था ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री प्रहलादराय जैन को रू0 128/–अक्षरे एक सौ अठ्ठाईस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **रिफाइंड पाम ऑयल (जय श्री मथंन ब्राण्ड)** 4 मूल पैक को ज्यो का त्यो अलग–अलग चार भागो मे विभाजित कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–296 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये। चारों नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–296 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. प्रहलाद राय जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

खाद्य पदार्थ का नमूना कय करते समय श्री प्रहलाद राय जैन ने मौके पर बतोर वारन्टी कोई बिल पेश नहीं किया तथा बाद में नोटिस देने पर स्वयं उपस्थित होकर मैसर्स पवन किराणा स्टोर माणक चोक बाजार मालपुरा का बिल कमांक 564 दिनांक 2–3–2012 प्रस्तुत माल उस फर्म से खरीद करना बताया। विक्रेता मैसर्स पवन किराणा स्टोर माणक चोक बाजार मालपुरा ने बतौर वारन्टी प्रोपराईटर मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट एच 137 ए रीको औधोगिक क्षेत्र सरना डूँगर जयपुर निवासी बी–82 एल एस नगर नया खेडा अम्बा बाड़ी जयपुर राज0 का वारन्टी बिल पेश किया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./12/1305 दिनांक 10.04.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/358/एक्ट/2012/386 दिनांक 28.03.2012 अनुसार मैसर्स प्रहलादराय विमल कुमार किराणा स्टोर प्राईवेट बस स्टेण्ड के पास डिग्गी तह0 मालपुरा जिला टोंक से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **रिफाइंड पाम ऑयल (जय श्री मथंन ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **रिफाइंड पाम ऑयल (जय श्री मथंन ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से एडवोकट श्री दिनेश कुमार शर्मा एवं श्री जितेन्द्र कुमार जैन उपस्थित हुए एवं बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। इसके लेबल पर भी सभी आवश्यक जानकारियां अंकित है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **रिफाइंड पाम ऑयल (जय श्री मंथनं ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **रिफाइंड पाम ऑयल (जय श्री मथंन ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded)स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति 25,000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 9–2–2024 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 9–2–2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णायक अधिकारी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक